REGD. NO. D. L.-33004/99

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99



असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 26]	नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 17, 2018⁄पौष 27, 1939
No. 26]	NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 17, 2018/PAUSHA 27, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2018

सा.का.नि. 35(अ).—पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए नियमों, जिन्हें केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और धारा 25 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, का निम्नलिखित प्रारूप, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार जनसाधारण की जानकारी के लिए, जिनके उसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना है, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है; और एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको भारत के राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना अंतर्विष्ट है, जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा; और

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों पर कोई आक्षेप करने या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली-110003 को या सीपीसीबी के सदस्य सचिव और मंत्रालय के वैज्ञानिक 'डी' को ई-मेल पते अर्थात **mscb.cpcb@nic.in और h.kharkwal@nic.in** पर लिखित रूप में भेज सकेगा।

प्रारूप नियम

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का नाम पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2018 है।
 (2) ये नियम राजपत्र में अन्तिम प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 (तदस्मिन पश्चात इन्हें उक्त नियम कहा जाएगा) में अनुसूची-। में क्र.सं.
 2 - और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्र.सं. तथा प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात :-

क्र.सं.	उद्योग	मानदण्ड	मानक
(1)	(2)	(3)	(4)
"2.	मानव निर्मित तन्तु	क. बहि:स्राव मानक	
		संकेन्द्रण इससे अधिक न हो (pH) और सोडिय	
		सल्फेट की पुन: प्राप्ति को छोड़कर mg/l में)	

	आन्तरस्थलीय ऊपरी जल	सिंचाई के लिए भूमि	समुद्री निस्सरण
рН	6.0-8.5	6.0-8.5	6.0-8.5
सस्पेंडिड ठोस (एसएस)	100	100	100
बायोकेमिकल ऑक्सीजन	30	100	100
डिमांड (BOD-27°C पर तीन दिन)			
जिंक	5	5	15
कुल घुलित ठोस	2100*	2100*	-
टिप्पणी :	1	1	
(क) विस्कोस स्टैपल फाइ	इबर और विस्को	स फिलामेंट यार्न	
इकाइयों में सोडियम	सल्फेट की पुन:प्रा	ाप्ति 60% से कम	
नहीं होगी।			
.,	(ख) उचित समुद्री निकास के माध्यम से समुद्री निस्सरण के मामले में टीडीएस के मानक लागू नहीं होंगे।		
ि लिटर होगा, तथापि	(ग) *शोधित बहि:स्राव जल में टीडीएस 2100 मिग्रा प्रति लिटर होगा, तथापि ऐसे मामले में जहां अन्तर्ग्रहण जल में टीडीएस 1100 मिग्रा. प्रति लिटर से अधिक है वहां		
	1000 मिग्रा प्रति लिटर तक अधिकतम दत्तांश की		
अनुमति होगी बशर्ते रूप्त २४०० जिल्ल			
मूल्य 3100 मिग्रा. प्र ख. बहि:स्राव मान		कन हा।	
હ. બાહ.લાવ માન		इससे अधिक न	
		π./Nm ³)	
डाइमिथाइल फोर्मा	माइड	50	
और एक्रीनोलिट्राइल			
वाष्पशील कार्बनिक य			
	जइबर 		
इकाइयों में लागू)			

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
टिप्पणी :	
(क) कार्य संबंधी पर्यावरण में कार्बन डाइसल्फाइड (CS ₂)	
और हाइड्रोजन सल्फाइड (H ₂ S) का संकेन्द्रण	
व्यष्टिगत रूप से 10 ppm से अधिक नहीं होगा।	
(ख) चट्टे की ऊँचाई का आकलन इस प्रकार किया जाएगा	
H=11 Q ^{0.41} -3 VsDU,	
यहां Q – कार्बन डाइसल्फाइड का बहि:स्राव दर kg/hr है;	
Vs चट्टे की बहिःर्गमन गति, m/प्रति सेंकिंड;	
D चट्टे का व्यास, m;	
U चट्टे के ऊपरी सतह पर वार्षिक औसत पवन गति	
m/सेंकिंड.	
(ग) 31 दिसम्बर, 1998 के पश्चात निर्मित नये संयंत्रों के	
लिए, कुल उत्सर्जन का न्यूनतम 80% चट्टे में से	
गुजरेगा ओर यदि चट्टे की आकलित ऊंचाई 30 मीटर	
से कम हो तो 30 मीटर की अधिकतम ऊंचाई का प्रावधान किया जाएगा और यदि संयंत्र में एक से	
अधिक चट्टे विद्यमान हों तो निम्नलिखित शर्तों का	
पालन किया जाएगा :-	
(i) सभी चट्टों की अपेक्षित ऊंचाई चट्टों में से किसी भी	
चट्टे में अधिकतम उत्सर्जन की दर के आधार पर होगी	
अर्थात् CS ₂ उत्सर्जन करने वाले चट्टे एक समान	
ऊंचाई के होंगे (अधिकतम उत्सर्जन दर के आधार पर);	
(ii) चट्टों की संख्या 31 दिसम्बर, 1998 को विद्यमान	
संख्या से अधिक नहीं बढ़ाई जाएगी, तथापि उद्योग द्वारा चट्टों की संख्या घटाई जा सकती है;	
(iii) दो निकटतम चट्टों के बीच की दूरी बड़े चट्टे की	
ऊंचाई से कम से कम तीन गुणा मीटरों में होनी चाहिए	
और यदि दो चट्टों के बीच की दूरी कम है, तो इन दो	
चट्टों से हो रहे उत्सर्जन को एकल बिंदु स्रोत के रूप में माना जाएगा और चट्टे की ऊंचाई यह मानकर	
भागा जाएगा जार पट्ट का ऊपाइ पह मानकर आकलित की जाएगी कि उत्सर्जन एक चट्टे से हो रहे हैं;	
(iv) उद्योग संयंत्र की परिधि रेखा पर (सीमा रेखा के	
भीतर) तीन वायु गुणवत्ता निगरानी केन्द्र प्रतिष्ठापित	
करेगा ताकि परिवेशी वायु में CS ₂ और H ₂ S के	
संकेद्रण की निगरानी की जा सके ओर इन केन्द्रों की	
अवस्थिति का निर्णय संबद्ध राज्य के प्रदूषण नियंत्रण रोर्ने के साथ प्रसार्थ करके किया जासप्राः किसी	
बोर्ड के साथ परामर्श करके किया जाएगा; किसी भी स्थिति में CS ₂ और H ₂ S के स्तर (24 घंटे की दैनिक	
ारभारा में 002 जार 1120 के रहार (24 यह की दानक	

औसत) क्रमश 100 ug/m³ और 150 ug/m³ से अधिक नहीं होने चाहिए।	

(ii) क्र.सं. 60,62 और 87 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां विलोपित की जाएंगी।

3. उक्त नियमों की अनुसूची VI में -

(i) भाग ख में ''अपशिष्ट जल उत्पत्ति मानक'', क्र. सं. 6 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित क्र. सं. और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

क्र.सं.	उद्योग	प्रमात्रा
"6	(क) विस्कोस स्टैपल फाइबर (वीएसएफ) संयंत्र	75 m³ /प्रतिटन फाइबर
		150 m³ /प्रतिटन फाइबर
	(ख)विस्कोस फिलामेंट यार्न (वीएफवाई) संयंत्र	10 m³ /प्रतिटन फाइबर
		25 m³ /प्रतिटन फाइबर
	(ग) नाइलान पोलियस्टर	10 m³/प्रतिटन फाइबर
	(घ) एक्रीलिक- (i) गीली (वैट) प्रक्रिया	
	(ii) शुष्क प्रक्रिया	

(ii) भाग घ Ⅲ ''भार/मात्रा पर आधारित मानक'' में, बिना सहप्रसंस्करण वाले सीमेंट संयंत्र' से संबंधित क्र.सं. 10(क) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्र.सं. और प्रविष्टियां अन्तर्लिखित की जाएंगी, अर्थात् :-

क्र. सं.	उद्योग	मानदंड	मानक
"11	मानव निर्मित तंतु	क उत्सर्ज	न मानक
	(क) विस्कोस स्टैपल फाइबर	कार्बन डाइ सल्फाइड	95 किग्रा. /प्रतिटन
	(वीएसएफ) संयंत्र		वीएसफ
	(ख) विस्कोस फिलामेंट यार्न	हाइड्रोजन सल्फाइड	30 किग्रा. /प्रतिटन
	(वीएफवाई) संयंत्र		वीएसफ
	(ग) रेयन पोलियस्टर और	कार्बन डाइ सल्फाइड	200 किग्रा. /प्रतिटन
	नायलान वस्त्र (केवल डुबोने		वीएसफ
	वाली प्रक्रिया वाले संयंत्र)	हाइड्रोजन सल्फाइड	30 किग्रा. /प्रतिटन
			वीएसफ
		अमोनिया	0.3 किग्रा. /प्रतिटन डिप्ड
			फैब्रिक

[फा. सं. क्यू 15017/40/2011-सीपीडब्ल्यू]

डॉ. ए. सेंथिलवेल, वैज्ञानिक 'जी'

टिप्पण :- मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में का.आ. सं. 844(अ), तारीख 19 नवम्बर, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 1607(अ), तारीख 29 दिसम्बर, 2017 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 17th January, 2018

G.S.R. 35(E).—The following draft rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986 which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the public.

Any person interested in making any objections or suggestions with respect to the said draft rules may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period specified above to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi-110003, or send it to Member Secretary, Central Pollution Control Board and Scientist 'D' Ministry at the e-mail address i.e. mscb.cpcb@nic.in and h.kharkwal@nic.in.

DRAFT RULES

1. **Short title and commencement**.—(1) These rules may be called the Environment (Protection) Amendment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

- 2. In the Environment (Protection) Rules, 1986 (thereinafter referred to as the said rules), in Schedule,
 - (i) for serial number 2 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

S. No.	Industry	Parameter		Standards	
(1)	(2)	(3)	(4)		
"2.	Man-made	A. Effluent Star	ndards		
	Fibre		Concentration not to exceed, (in mg/l except for pH and recovery of Sodium sulphate)		except for pH
			Inland Surface	Land for	Marine
			Water	Irrigation	discharge
		pH	6.0-8.5	6.0-8.5	6.0-8.5
		Suspended Solids (SS)	100	100	100
		Biochemical Oxygen Demand (BOD - 3 days at 27 ⁰ C)	30	100	100
		Zinc	5	5	15
		Total Dissolved Solids	2100*	2100*	
Note:(a) The recovery of Sodium Sulphate shall not be less than 60% in Viscose Staple Fibre and Viscose Filament Yarn units.(b) Standards for TDS shall not be applicable in case of marine disposal through proper marine outfall.(c) *The TDS value with respect to treated effluent shall be 2100 milligram per litre, however, in case where TDS in intake water is above 1100 milligram per litre, a maximum contribution up to 1000 milligram per litre shall be permitted provided the maximum value of 3100 milligram per litre is not exceeded in the treated effluent.					

	B. E	mission Standards	
		Concentration not to exceed, (in mg/Nm ³)	
incluc Forma	amide and Acrylonitrile cable for Acrylic fibre	50	
Note:			
S		n Disulphide (CS ₂) and Hydrogen ronment shall not exceed 10 ppm,	
	the stack height shall be calc = $11 \text{ Q}^{0.41}$ -3 VsDU,	culated	
w	here Q - Emission rate of Q	Carbon Disulphide, kg/hr;	
	s - stack exit velocity, m/se	с;	
	- diameter of stack, m;		
(c) Fo 80 ca he m	 U - Annual average wind speed at top of stack, m/sec. (c) For new plants built after 31st December, 1998, a minimum of 80% of total emission shall pass through stacks and if the calculated stack height is less than 30 metres, a minimum height of 30 metres shall be provided, and in case there are more than one stack existing in the plant, following conditions may be met :- 		
(i)	maximum emission rate	Il stacks shall be based on the in any of the stacks i.e. the stacks all be of same heights (based on tte);	
(ii)		not be increased as existing on ever, the number of stacks may be	
(iii)	three times of height of distance between two stacks through such two stacks point source and height	o nearest stacks should be at least of taller stack, in metres and if cks is less, emission being emitted is shall be considered as a single of the stacks shall be calculated being emitted through one stack;	
(iv)	the industry shall insta stations on the periphery so as to monitor concern air and the location of t consultation with concern in any case levels of CS_2	Il three air quality monitoring (within boundary limits) of plant tration of CS_2 and H_2S in ambient hese stations shall be decided in hed State Pollution Control Board; and H_2S (24 hours daily average) n^3 and 150ug/m ³ respectively";	

(ii) serial numbers 60, 62 and 87 and the entries relating thereto shall be omitted.

3. In Schedule VI to the said rules, -

(i) in Part B "Wastewater Generation Standards", for serial number 6 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

S. No.	Industry	Quantum
"6	(a) Viscose Staple Fibre (VSF) Plant	75 m ³ /tonne of fibre
	(b) Viscose Filament Yarn (VFY) Plant	150 m ³ /tonne of fibre
	(c) Nylon Polyester	10 m ³ /tonne of fibre
	(d) Acrylic- (i) Wet Process	25 m ³ /tonne of fibre
	(ii) Dry Process	10 m ³ /tonne of fibre";

(ii) in Part D.III. "Load/ Mass based Standards", after serial number 10 (A) relating to 'Cement Plant without co-processing' and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

S. No.	Industry	Parameter	Standards
"11.	Manmade Fibre	A. Emission Standa	ards
	(a) Viscose Staple Fibre (VSF)	Carbon Disulphide	95 kg/ tonne of VSF
	Plant	Hydrogen Sulphide	30 kg/ tonne of VSF
	(b) Viscose Filament Yarn (VFY) Plant	Carbon Disulphide	200 kg/ tonne of VFY
	(c) Rayon, Polyester and Nylon	Hydrogen Sulphide	30 kg/ tonne of VFY
	fabric (Dipping process Plant only)	Ammonia	0.3 kg /tonne of dipped fabric.".

[F. No. Q-15017/40/2011-CPW]

by ALOK KUMAR

KUMAR Date: 2018.01.19 15:32:54 +05'30'

Dr. A. SENTHIL VEL, Scientist 'G'

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number S.O. 844(E), dated the 19th November, 1986 and lastly amended vide notification G.S.R. 1607(E), dated the 29th December, 2017.